

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)**  
पीठासीन अधिकारी- श्री नरेश कुमार मालव  
आर.ए.एस.

<u>मिसल संख्या:</u>	<u>तारीख दायरा</u>	<u>तारीख निर्णय</u>
39/अपील/2018	29.01.2018	27.04.2018

मोजीराम आ0 श्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां  
जिला बून्दी (राजस्थान)

अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 18.12.2017  
तहसीलदार, नैनवां  
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम  
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से - श्री रणवीर सिंह, अभिभाषक।  
रेस्पोडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार

-: निर्णय :-

यह अपील तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1939 रकबा 03 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम नैनवां द्वितीय तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 150/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को



*Handwritten signature*

अतिक्रमी होने प्रमाणित होना है तथा अपीलान्त विवाहित मंषि पर अपीलान्त निर्या व पत्रापी बयान में है। जिसमें अपीलान्त पत्रवातवपी पत्रवातवपी में गत वर्ष अपीलान्त को बंदखल किये गये निर्या का अंकन जा सकत। अपीलान्त के इस कथन की पुष्टि में अपीलान्त न्यायालय की पत्रवातवपी साहित किये स्थित कारावास की सजा से टोल्ट नही किया अपीलान्त को पत्रवातवपी नही माना जा सकत। अपीलान्त को विना बंदखल करने की रिपोर्ट सलन नही है, विना टोल्टवोल व साक्ष्य के पत्रवातवपी प्रमाणित करने के समन्ध में पूर्व निर्या की व मंषि से निवेदन किया है कि अपीलान्त न्यायालय की पत्रवातवपी में अपीलान्त को पत्रवातवपी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नही है। अपीलान्त ने यह भी दिया है लेकिन अपीलान्त न्यायालय की पत्रवातवपी में कल्ला छेड़ने बाबत अपीलान्त ने निवेदन किया है कि उसने विवाहित मंषि से कल्ला छेड़ने कि मंषि की व्यक्ति को अतिक्रमण व कल्ला करने का अधिकार नही है। जिस मंषि पर अतिक्रमण किया गया है वह बरगामाह मंषि है जिस पर अपीलान्त न्यायालय द्वारा विहित नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा किया है। पत्रापी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर टोल्ट रिपोर्ट कर अपीलान्त को अवलोकन से एकट है कि अपीलान्त ने विवाहित मंषि पर अतिक्रमण किया। अपीलान्त न्यायालय की पत्रवातवपी में उपलब्ध रिपोर्ट पत्रापी के हमने पत्रवातवपी का अवलोकन किया। बहस सम्यपक्ष पर मनन


वाकर अपीलान्त न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।  
 की पत्रवातवपी में उपलब्ध नही है। अतः अपील अपीलान्त खरिज करमापी कल्ला छेड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पत्रवातवपी आदि अपीलान्त न्यायालय करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण मंषि से कल्ला छेड़ने है, मं अंकन है। अपीलान्त पत्रवातवपी अतिक्रमी है तथा बारा-बारा अतिक्रमण गया था जिसका विवरण पत्रापी बयान व अपीलान्त न्यायालय के निर्या गया है। अपीलान्त को गत वर्ष मंषि अतिक्रमि मंषि से बंदखल किया तथा अपीलान्त को सनवाई का अपीलान्त न्यायालय द्वारा अवसर दिया है। अपीलान्त को अपीलान्त न्यायालय द्वारा विहित नोटिस दिया गया है कि अपीलान्त ने राजकीय बरगामाह मंषि पर अतिक्रमण किया गया प्रोकर-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत

18.12.2017 निरस्त करमाया जावे।  
 स्वीकार कर अपीलान्त अपीलान्त न्यायालय का आदेश दिनांक अपीलान्त को बंदखल करने बाबत नही लिये है। अतः अपील अपीलान्त अपीलान्त आदेश पारित करने से पूर्व कोई टोल्टवोल व साक्ष्य पूर्व में तथा अतिक्रमि मंषि से कल्ला छेड़ने दिया है। अपीलान्त न्यायालय ने कि अपीलान्त मविष्य में अपीलान्त अतिक्रमि मंषि पर कल्ला नही करेगा गई है। बहस के दौरान अभिमषक अपीलान्त ने यह भी तर्क प्रस्तुत किये नही है। अपीलान्त न्यायालय द्वारा आरोपित पीनान्टी भी जमा करा दी कोई राजस्व बकया नही है। अपीलान्त का कोई बरगामाह मंषि पर कल्ला जा आदेश दिया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त की पर विवेचन करते हुये अपीलान्त न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजा का कि मंषि सरकारी मंषि पर कल्ला नही है कवल पत्रापी इल्का की रिपोर्ट अपने बयान पक्ष में सनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलान्त का

बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
27/4/18  
(नरेश कुमार मालव R.A.S.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बून्दी (राज0)